S.No.P.C.VI. 47
RBE No. 177/08

Government of India/भारत सरकार
Ministry of Railways/रेल मंत्रालय
Railway Board/रेलवे बोर्ड

रेल भवन, नई दिल्ली 110001, तिथि 14/11/08
Rail Bhawan, New Delhi-110001, dated.

No.E(G)2008/AL12-4

The General Manager/CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list).

Sub: Recommendations of Sixth Central Pay Commission – Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance – Revision of rates.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission circulated vide Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 6(3)/2008-E.II.B dated 29.8.08, the rates of Project Allowance have been revised w.e.f. September 1, 2008.

2. Ministry of Railways have considered the question of revision of rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance notified vide Board's letter No. E(G)98/AL12-1 dated 22.9.98 (Corresponding to MOF's O.M. No. 6(6)/97/E.II(B) dated 1.4.1998) and it has been decided with the sanction of the President that the rates of Project Allowance and Compensatory (Construction/Survey) Allowance shall be revised as follows:

(a) **Project Allowance**

Grade Pay	Rate per month (Rs)
For posts in the grade pay of Rs.5400/- and above and pay scale of HAG + and above.	1500
For posts in the grade pay of less than Rs.5400/-	1000

The Railway employees whose offices are in the project area, but not specifically for the work of the project, and the projects are covered by the Ministry of Finance's O.M. No.20011/5/73-E.IV(B) dated 17.1.1975 on Project Allowance circulated under Board's letter No.E(G)73 AL12-27 dated 27.11.78 and No. PC-IV/86/Imp/AL-15 dated 14.10.86 shall, however, be entitled to Project Allowance only at 50% of the above rates.

(b) **Compensatory (Construction/Survey) Allowance**

Grade Pay	Rate per month (Rs)
For posts in the grade pay of Rs.5400/- and above and pay scale of HAG + and above.	1500
For posts in the grade pay of less than Rs.5400/-	1000

..2..

3. **CONDITIONS**

(i) In the case of those employees who opt to retain the pre-revised scale of pay, corresponding Grade pay of the pay scale/corresponding pay scale of the post occupied on 1.1.2006, as indicated in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 would determine the allowance under these orders.

(ii) These orders will take effect from September1,2008.

(iii) The rates of these allowance shall automatically increase by 25%, whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.

(iv) All others terms and conditions governing the grant of these allowance shall remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Suvomoy Pal
(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

No.E(G)2008/AL12-4 New Delhi, Dated 14.11.08

Copy to :

i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

Suvomoy Pal
(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

No.E(G)2008/AL12-4 New Delhi, Dated 14.11.08

Copy to:

i) Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi. (with 40 spares).

FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi with 35 spares.
3. All Members of the National Council Departmental Council and Secretary/Staff, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 356A Railway Board (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Railway Board (5 spares).
6. The Secretary General, AIRPF Association, Room No. 549, Rail Bhawan, New Delhi – 1 with 5 spares.
7. The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association (with 5 spares).
8. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi (with 5 spares).
9. The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers' Association (with 5 spares).
10. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares)
11. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association (with 5 spares).
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 8, Rail Bhawan, New Delhi (with 5 spares)

For Secretary, Railway Board

Copy to:

Sr. PPS/PPS/PS/PAs to MR, MSR(N), MSR(V), CRB, FC, MS, ME, MT, ML, MM, Secretary, Adv./Staff, Adv.(IR), Adv.(F), EDE, EDPC-I, EDPC-II, EDF(E), JDE(W) PC-VI (50 spares) and F (E)II & other branches.

क्रम सं. पी.सी. VI--47--
आरबीई सं.--177/08

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2008/एएल12-4 रेल भवन, नई दिल्ली 110 001, दिनांक 14.11.2008

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)।

विषयः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें-परियोजना भत्ता तथा प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता-दरों में संशोधन।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 29.08.2008 के का.ज्ञा. सं. 6(3)/2008/ई-II बी के तहत परिपत्रित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना भत्ते की दरों को सितम्बर 1, 2008 से संशोधित किया गया है।

2. बोर्ड के 22.09.1998 के पत्र सं. ई(जी)98/एएल12-1 (वित्त मंत्रालय के 01.04.1998 के का.ज्ञा. सं. 6(6)/97/ई-II बी के तदनुरूपी) के तहत अधिसूचित परियोजना भत्ते और प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ते की दरों में संशोधन के प्रश्न पर रेल मंत्रालय ने विचार किया है और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति से यह विनिश्चय किया गया है कि परियोजना भत्ते और प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ते की दरों में नीचे दिए गए अनुसार संशोधन किया जाएगा:-

(क) <u>परियोजना भत्ता</u>

ग्रेड वेतन	प्रतिमाह दर (रुपए)
5400/- रुपए और अधिक के ग्रेड वेतन तथा एचएजी और ऊपर के वेतनमान में पदों के लिए	1500
5400/- रुपए से कम के ग्रेड वेतन में पदों के लिए	1000

बहरहाल, वे रेल कर्मचारी, जिनके कार्यालय परियोजना क्षेत्र में है, लेकिन विशिष्ट रूप से परियोजना के कार्य के लिए नहीं है और ये परियोजनाएं बोर्ड के 27.11.1978 के पत्र सं. ई(जी)73 एएल 12-27 और 14.10.1986 के पत्र सं. पीसी-IV/86/इंप./एएल-15 के तहत परिपत्रित परियोजना भत्ते पर वित्त मंत्रालय के 17.01.1975 के का.ज्ञा. सं. 20011/5/73-ई-IV(बी) के अंतर्गत आती हैं, उपर्युक्त दरों के केवल 50% पर परियोजना भत्ते के पात्र होंगे।

...2..

(ख) प्रतिपूरक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता

ग्रेड वेतन	प्रतिमाह दर (रुपए)
5400/- रुपए और अधिक के ग्रेड वेतन तथा एचएजी और ऊपर के वेतनमान में पदों के लिए	1500
5400/- रुपए से कम के ग्रेड वेतन में पदों के लिए	1000

(3) **शर्तें**

(i) वे कर्मचारी जो वेतन के पूर्व-संशोधित वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प देते हैं, के मामले में इन आदेशों के अंतर्गत रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में यथोल्लिखित 01.01.2006 को धारित पद के वेतनमान का तदनुरूपी ग्रेड वेतन/तदनुरूपी वेतनमान भत्ते का निर्धारण करेगा।

(ii) ये आदेश सितंबर 1, 2008 से प्रभावी होंगे।

(iii) जहां भी संशोधित वेतन ढांचे पर देय महंगाई भत्ता 50% से बढ़ता है, इन भत्तों की दरें स्वत: ही 25% से बढ़ जाएंगी।

(iv) इस भत्ते को प्रदान करने हेतु शासित करने वाले अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

सुभोमोय पाल
(सुभोमोय पाल)
उप निदेशक स्था.(सा.)

सं. ई (जी) 2008/एएल12-4 नई दिल्ली, दिनांक 14.11.2008

प्रतिलिपि :

i) विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
ii) मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ

सुभोमोय पाल
(सुभोमोय पाल)
उप निदेशक स्था.(सा.)

..3..

सं. ई (जी) 2008/एएल12-4 नई दिल्ली, दिनांक

प्रतिलिपि :

i) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (जी) 2008/एएल12-4 नई दिल्ली, दिनांक 14.11.2008

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फ्रोआ, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 549, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. सचिव, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
11. सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'घ' कर्मचारी एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
12. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेल कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा सं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

P-E(G)